

5 $\frac{3}{24}$

पार्श्वों के अधिवक्ता उपस्थित। ठोपार्श्वों-
गण सं. ॥ १३ के अधिवक्ता उपस्थित।
अधिवक्ता पार्श्वों के पार्श्वना-पत्र
पर पत्रावली आज सुनवाई हेतु
ली गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ता गण की
बहस सुनी गई। पार्श्वों के अधिवक्ता
द्वारा निकेदन किया कि प्रकरण में
डोपीलांट का हित निहित है तथा अदालत
पैरवी में खारिज हो जाने से अपूर्णता
प्राप्ति होगी, लिहाजा नरम रूप से अपना
हिसा प्रशासन में प्रकरण पुनः बरामद
किये जाने का आदेश फरमावे।



विषय : अपरा
महोदय

डेप्युटी जज सं. 11 से 13 के डेप्युटी वक्ता
द्वारा प्रार्थना-पत्र का प्रतिकार
क्रिया बिना प्रकरण पुनः बरामद
क्रिया जान बाबत डेनापति प्रकर
की गयी।

डेप्युटी वक्ता जज उमय प्रकाशान
द्वारा प्रकर तथ्यों एवं पत्रावली
के अवलोकन से अभ्याहित में
डेपील सं. 110/2022 पुनः बरामद
बनाम श्री गणेश पुनः बरामद
कर सुनवाई क्रिया जाना अभ्याहित
में उचित प्रतीत होता है,
लिहजा प्रार्थना-पत्र का प्रतिकार
क्रिया जाता है। डेपील
सं. 110/2022 पुनः बरामद होकर
नम्बर पर कार्यमें हों। (मूल पत्रावली)
डेपिलेख से तलब होकर वापस
सुनवाई दिनांक 15.4.2024 का
पत्र हों।

जिला कलेक्टर
बाडमेर